न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

<u>अपील संख्या –12/2023 एवं 13/2023 जिला दौसा</u> <u>जी.सी.एम.एस. नं. 2023/45</u>

1. सुभाष पुत्र जौहरी लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी पुरोहितपाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. अंजू पत्नी दीपक, जाति ब्राह्मण, निवासी पुरोहितपाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. घनश्याम पुत्र लड्डू लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा प्रकरण संख्या 12/10 अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.2016 जिसके नामांतरकरण संख्या 8 पर आदेश दिनांक 8.2.1962 तहसीलदार लालसोट निरस्त किया गया ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 1 श्री उमेश गौड
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

<u>अपील संख्या :–13/2023 जिला दौसा</u> <u>जी.सी.एम.एस. नं. 2023/46</u>

1. घनश्याम पुत्र लड्डू लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी लालसोट, जिला दौसा, वर्तमान निवासी अहमदाबाद, गुजरात ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद, जाति ब्राह्मण पुराहित, निवासी पुरोहित पाडा, लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. सुभाष पुत्र जौहरी लाल , जाति ब्राह्मण पुरोहित, निवासी पुरोहितपाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
3. अन्जू पत्नि दीपक, जाति ब्राह्मण पुरोहित, निवासी लालसोट, जिला दौसा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट, अजला दौसा ।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा प्रकरण संख्या 13/10 अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 391दिनांक 16.7.1971 को पारित आदेश तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी

निर्णय

दिनांक 26.09.2023

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नामांतरकरण संख्या 8 पर पारित तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 8.2.62 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल उनवानी अपील संख्या 12/2010 में पारित अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ एवं नामांतरकरण संख्या 391 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल उनवानी अपील संख्या 13/2010 में पारित अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक

8.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है, जो अपील संख्या 13/2016 एवं 1/2017 पर दर्ज की गई। अति. संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 द्वारा उन्होंने अपील संख्या 13/2016 सुभाष बनाम घनश्याम खारिज कर दी गयी एवं अपील संख्या 1/2017 घनश्याम बनाम प्रभू लाल आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त दोनों निर्णयों से व्यथित होकर सुभाष पुत्र जौहरीलाल ने राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी/एल.आर./4272/2018/दौसा उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम व अन्य एवं निगरानी/एल.आर./4274/2018/दौसा सुभाष बनाम घनश्याम पेश की गई। राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने निगरानी स्वीकार कर न्यायालय अति. संभागीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 अपास्त किया जाकर यह आदेश पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम व आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 पर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। तत्पश्चात ही अपील में विधि अनुसार गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

2. दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावें । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल, जाति ब्राह्मण पुरोहित अलमसहूर नेनचड़या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2292 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2299 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2300 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2301 लगायत 2308 किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट, जिला दौसा का नामांतरकरण अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.4.1960 को काल्या पुत्र रामकुंवार माली निवासी लालसोट, जिला दौसा के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.1961 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के आधार पर जमाबन्दी संवत 2015 में नोट अंकित हो गया , जिसे अन्तर्गत धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खातेदार के विकलांग होने के कारण उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 28.6.1961 द्वारा निरस्त कर दिया गया । जमाबन्दी संवत 2015 में अंकित काल्या पुत्र रामकुंवार के नाम तस्दीक नामांतरकरण निरस्त होने के कारण उनका नाम विलोपित हो गया । इसके बाद बनी जमाबन्दी संवत 2019 में उक्त रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के अलावा आराजी खसरा नम्बर 1424 रकबा 1 बीघा, 1425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 2327 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट, जिला दौसा में खातेदारी रामबाई कौम ब्राह्मण साकिन देह जौहरी लाल ब्राह्मण व शिव. काल्या कौम माली के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 8.2.1962 को शिकमी अंकित कर दिया गया। जमाबन्दी खाता संख्या 167 में दिनांक 8.2.62 को नामांतरकरण निरस्त होने का नोट लगाए जाने के बाद खातेदारी कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल के नाम होना वांछित थी , लेकिन 2019 की जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 को संदर्भित कर खातेदार के रूप में रामबाई का नाम अंकित कर दिया जबकि उस समय खातेदार कन्हैया लाल व उनकी पत्नी कौशल्या देवी भी जीवित थे। रामबाई को मृतक बताकर नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 को प्रभू लाल को स्वर्गीय रामबाई का पौत्र बताकर उसके नाम तस्दीक कर दिया। प्रभू लाल द्वारा अपीलान्ट के चाचा कन्हैया लाल की भूमि हड़पने के उद्देश्य से रामबाई को मृतक बताकर अपने नाम नामांतरकरण संख्या 391 तस्दीक किया है । विवादित भूमि का विक्रय प्रभू लाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.5.71 से सुभाषचन्द पुत्र जौहरी लाल ब्राह्मण को किया गया एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 584 क्रेता सुभाष चन्द के नाम तस्दीक हुआ है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. कन्हैया लाल पुत्र छाजू ब्राह्मण की खातेदारी भूमियों का काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम दिनांक 4.1.61 को तस्दीक नामांतरकरण संख्या 8 को निरस्त कर दिनांक 8.2.62 को रामबाई का नाम अंकित करने के खिलाफ एवं रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 जो प्रभू लाल के नाम तस्दीक हुआ है, के खिलाफ घनश्याम पुत्र लड्डू लाल ब्राह्मण द्वारा पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनमें से नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ प्रकरण 12/2010 में अपील निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश तहसीलदार लालसोट जमाबन्दी अंकन सं. 2019 जिसमें रामबाई बेवा ....(नामालूम) अंकित किया गया था, खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जॉच की जाकर व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर यथासम्भव दो माह के अन्दर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। दूसरे नामांतकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 जो रामवाई की विरासत का प्रभू लाल के नाम तस्दीक किया था, के खिलाफ प्रकरण संख्या 13/2010 में अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा खारिज की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखा गया ।

4. कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्राह्मण की खातेदारी भूमियों के नामांतरकरण संख्या 8 काल्या पुत्र रामकुवार माली के नाम दिनांक 4.1.61 तस्दीक, को तहसीलदार लालसोट ने आदेश दिनांक 8.2.62 द्वारा निरस्त कर रामबाई के नाम खातेदारी अंकित किये जाने के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 12/2010 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ विवादित भूमि के केता सुभाष व अंजू द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपील संख्या 12/2010 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । यह अपील अपील संख्या 12/2023 पर दर्ज की गई है ।

5. खातेदार रामबाई के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.1971 को प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद के नाम तस्दीक, के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 13/2010 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ घनश्याम द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपील संख्या 13/2010 में पारित अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.16 व नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.1971 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की । यह अपील संख्या 13/2023 पर दर्ज की गई है ।

6. दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष की बहस प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 पर सुनी गयी। प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रमाणित दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते हैं। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

7. अपील संख्या 12/2023 उनवानी सुभाष बनाम धनश्याम मे अपीलान्ट एवं अपील संख्या 13/2023 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभूलाल में रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी ने अपील संख्या 12/2023 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट घनश्याम द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.1962 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 53 वर्षों के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं होने पर भी विलम्ब के बिन्दु को नजरन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको न्यायालय द्वारा नजरन्दाज किया जाना उचित नहीं है। उनका कहना था कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में इन्द्री बेवा छाजू लाल के नाम दर्ज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

थी जिनके द्वारा लगान जमा नहीं कराने के कारण भूमि समर्पण कर दी गई एवं लगान जमा कराने पर भूमि रामबाई के पति जानकी लाल के नाम दर्ज हो गई । स्व. कन्हैया लाल ने स्वयं को जानकी लाल का दत्तक पुत्र बताकर अनेक न्यायालयों में मुकदमें लडे जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली तथा बाद में काल्या माली का नामांतरकरण खारिज होने पर न्यायालय के निर्णय से भूमि रामबाई के नाम दर्ज हुई । यह भली भांति सिद्ध था कि रामबाई का पुत्र मोती लाल, मोती लाल का पुत्र गोकुल प्रसाद व गोकुल प्रसाद का पुत्र प्रभू लाल है, जो रामबाई का विधिक वारिस होने से उसके नाम नामांतरकरण संख्या 391 तस्दीक हुआ है। प्रभू लाल का नाम राजस्व अभिलेख में आने के बाद उचित प्रतिफल लेकर भूमि अपीलान्ट सुभाष पुत्र जौहरी लाल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजरन्दाज कर रामबाई के असली वारिस की जॉच करने के अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना था कि रामबाई की विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 प्रभू लाल के नाम तस्दीक हुआ था, के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 391 को यथावत रखा है, जिससे पूर्णतया सिद्ध है कि प्रभू लाल ही रामबाई का विधिक वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/10 में रामबाई के नाम अंकित नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.1962 के खिलाफ अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश खारिज किया जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया है तथा दूसरे प्रकरण संख्या 13/10 में रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 के खिलाफ अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा अपील खारिज की जाकर नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखा गया है, जो विरोधाभासी है। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट घनश्याम द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि वह कन्हैया लाल के भाई का पुत्र हो या कन्हैया लाल अथवा कौशल्या देवी के द्वारा कोई वसियत घनश्याम के नाम की गई हो । भूमि के केता सुभाष का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुका था इसके बाद नियमित वाद के माध्यम से ही कार्यवाही हो सकती थी। विवादित भूमि की खातेदारी छाजूलाल के नाम थी। इसके पश्चात उक्त भूमि इन्द्री बेवा छाजूलाल के नाम दर्ज हो गयी थी। लगान नहीं देने से इन्द्री ने भूमि को समर्पण कर दिया। इसके बाद जानकीलाल के नाम पर्चा हो गया (सम्वत 1975 में) (सेटलमेन्ट से पर्चा जारी होता था) इन्द्री ने सेटलमेन्ट में आपत्ति पेश की कि मेरी भूमि का पर्चा गलत रूप से जानकीलाल के नाम किया। इन्द्री के नाम पर्चा नहीं हुआ। इस बीच जानकीलाल, इन्द्री का निधन हो गया। भूमि का पर्चा जानकीलाल के बाद रामबाई बेवा जानकीलाल के नाम खोला गया। नामान्तरकरण संख्या 8 के जरिये मृतक रामबाई को खातेदारी प्रदान की गई थी। मु0 रामबाई के हक में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष विचाराधीन पर्चा विवाद सं. 1991 के तहत दिनांक 05.02.1959 को खातेदारी की डिक्री जारी की थी तथा रामबाई को खातेदार घोषित किया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 05.02.1959 के विरूद्ध कन्हैया लाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की थी जो माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 06.07.1959 को नामंजूर कर दी थी तथा दिनांक 03.08.1959 को खारिज की डिक्री व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को यथावत रखने की आज्ञा जारी की थी। उक्त निर्णय व डिक्री के पश्चात मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में आने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी दौसा के पत्र दिनांक 03.12.1959 द्वारा तहसीलदार लालसोट द्वारा आदेशित किया गया था। जिसके अनुसरण में तहसीलदार लालसोट को खातेदारी अंकित करने के आदेश जारी किए जिसके अनुसरण में खातेदारी मु0 रामबाई के नाम की गई। इसी बीच न्यायिक निर्णयों के अस्तिव में रहते हुए विवादित भूमि का अंतर्गत धारा 19 आर.टी.ए. के तहत नामान्तरकरण संख्या 8 दर्ज कर भूमि को काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम दर्ज कर दिया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय का अंकन करते हुए रामबाई के

नाम का इन्द्राज भी उसी नामान्तरकरण पर कर दिया किन्तु पत्रावली में नहीं किया। जिस पर मु0 रामबाई द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष की जिसमें बाद सुनवाई न्यायालय अति0 जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 28.06.1961 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 8 के द्वारा काल्या पुत्र रामकुंवार के हक में किये गये इन्द्राज को निरस्त करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय के अनुरूप इन्द्राज को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मु0 रामबाई के वारिस प्रभू लाल से क्रय की थी तथा क्रय का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक में तस्दीक होकर खातेदारी दर्ज हुई थी। विक्रेता प्रभूलाल का निधन हो गया। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण के पास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय एवं राजस्व मण्डल और न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के निर्णयों की प्रति नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नामा0 सं0 8 पर उक्त समस्त इन्द्राजात का नोट अंकित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई व सबूत का पूर्ण अवसर नहीं दिया तथा पूर्व में प्रार्थीगण के पास पूर्व में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां नहीं थी। अब प्रार्थीगण ने जगह–जगह तलाश कर विवादित भूमि के बाबत चले मुकदमों की जानकारी प्राप्त की जिस पर न्यायालयों के निर्णयों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई। क्योंकि प्रभूलाल जो कि रामबाई का वारिस है। दौराने अपील फौत हो गया था। उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश नहीं किये थे। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील शीध्रताशीध्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी तथा अनेक न्यायालयों के निर्णय बाबत अपनी अपील मीमों में अंकन भी किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनाया था जिसका दिनांक 5.9.2010 को स्वर्गवास हो गया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील संख्या 13/2016 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 निरस्त किया जावे एवं रामबाई के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 8 पर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.1962 यथावत रखा जावे तथा अपील संख्या 13/2023 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभू लाल खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 8.2.2016 एवं रामबाई की विरासत के तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 को यथावत रखे जावे।

8. अपील संख्या 13/20123 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभूलाल में अपीलान्ट एवं अपील संख्या 12/2023 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम में रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता श्री उमेश गौड ने बहस के दौरान अपील संख्या 12/2023 में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि स्व. कन्हैया लाल के जीवित रहते हुये कन्हैया लाल की खातेदारी भूमि रामबाई ने तहसील कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने नाम करवाली जबकि रामबाई नामक महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं है । इतना ही नहीं रामबाई की विरासत का नामांतरकरण भी गलत तरीके से रेस्पोंडेन्ट प्रभू लाल ने अपने नाम करवा लिया। विवादित भूमि कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्रह्मण पुरोहित की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका नामांतरकरण अन्तर्गत धारा 5 काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.4.1960 को काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.61 को गलत तरीके से तस्दीक किया गया, जबकि 04.01.1961 को धारा 19 ए के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं थे। धारा 19ए में संवत 2012 से 2015 में रिकार्डेड खातेदार के नाम नामान्तरकरण होते थे। दिनांक 04.01.1961 को यह अवधि समाप्त हो गई थी । तथा उपखण्ड अधिकारी के आदेश 28.06.1961 को निरस्त कर नामान्तरकरण रामबाई के नाम खोला गया जबकि उसके पति के नाम का कोई अंकन नहीं किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को सही मानते हुए बिना जॉच के किए हुए आदेश को निरस्त फरमा दिया। तथा प्रकरण को जॉच हेतु रिमाण्ड किया गया है। अपीलान्ट

ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से प्रकरण में पैरवी की है। तथा दोनों अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिसके आधार पर जमाबन्दी संवत 2015 में नोट अंकित किया गया तथा उक्त खातेदारी को धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदार के विकलांग होने के कारण उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 28.6.61 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे काल्या पुत्र रामकुंवार का नाम विलोपित हो गया । इसके पश्चात् संवत 2019 में उक्त रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1424 रकबा 1 बीघा, 1425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 2327 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी रामबाई बेवा........कौम ब्राह्मण साकिन देह जौहरी लाल ब्राह्मण शिव, काल्या कौम माली को गलत तरीके से शिकमी अंकित कर दिया गया जबकि जमाबन्दी खाता संख्या 167 दिनांक 8.2.62 को नामांतरकरण निरस्तीकरण का नोट अंकित होने पर खातेदारी अंकन कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल के नाम अंकित करनी चाहिये थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से 2019 में रामबाई को खातेदार दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना था कि रामबाई के नाम अंकित नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.62 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा स्वीकार की जाकर जमाबन्दी संवत 2019 में अंकित रामबाई बेवा......... (नामालूम), को खारिज कर प्रकरण सुनवाई हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था । उनका कहना था कि प्रकरण संख्या 12/10 में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 द्वारा जब रामबाई के नाम दर्ज खातेदारी खारिज कर दी गई थी तो प्रकरण संख्या 13/10 में रामबाई की विरासत के प्रभू लाल के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 391 के खिलाफ अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.16 पारित कर अपील खारिज करने एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना था कि जब रामबाई के नाम खातेदारी खारिज हो चुकी थी तो रामबाई की विरासत का नामांतरकरण 391 भी खारिज होना चाहिये था । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 प्रभू लाल ने गलत तरीके से रामबाई का प्रपौत्र बनकर रामबाई की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम गलत करवा लिया जबकि अपीलान्ट स्व. कन्हैया लाल के भाई का पुत्र है एवं स्व. कन्हैया लाल की पत्नि ने अपीलान्ट के पक्ष में वसियत कर रखी है। ऐसी स्थिति में कन्हैया लाल की सम्पत्ति का अपीलान्ट ही एकमात्र उत्तराधिकारी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील संख्या 13/2023 उनवानी घनश्याम बनाम प्रभूलाल स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 व रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 पर पारित आदेश दिनांक 16.7.1971 निरस्त किया जावे तथा रामबाई के नाम अंकित नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.1962 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 12/2023 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 यथावत रखा जावे जिसके द्वारा रामबाई के नाम किया गया नामांतरकरण संख्या 8 खारिज किया गया था।

9. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील संख्या 12/2023 उनवानी सुभाष बनाम घनश्याम में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2017 अन्तर्गत धारा 41 रूल 27 सी.पी.सी. पर सुनी गयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 रूल 27 सी.पी.सी. के साथ पेश प्रमाणित दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते हैं। अपील संख्या 12/2023 सुभाष बनाम घनश्याम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नामान्तरकरण 8 पर पारित तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 8.2.1962 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल उनवानी अपील संख्या 12/2010 में पारित अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 8.2.2016 के खिलाफ दिनांक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

01.03.2016 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अपील संख्या 13/2023 धनश्याम बनाम प्रभूलाल व अन्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत नामान्तरकरण 391 पर पारित तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 16.07.1971 के खिलाफ धनश्याम बनाम प्रभूलाल उनवानी अपील संख्या 13/2010 में पारित अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.02.2016 के खिलाफ दिनांक 22.03.2016 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। प्रा.पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.1959 के द्वारा विवादित भूमि के खसरा नं. 1400, 1401, 2109, 2133, 2139, 2140, 2141–2144, 2145, 2146, 2147/1, 2163 कुल रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा रामबाई के नाम दर्ज करने एवं कन्हैयालाल का नाम हजफ का आदेश दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.1959 से व्यथित होकर कन्हैयालाल पुत्र मोहरीलाल ने राजस्व मण्डल अजमेर के अपील की गयी। राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.1959 से कन्हैयालाल की अपील खारिज कर दी गयी। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.07.1959 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.1960 से रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उपरोक्त प्रश्नगत नामान्तरकरणों में विवादित भूमि के रकबा व खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न हैं। उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रश्नगत नामान्तरकरणों में विवादित भूमि के रकबा व खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न हैं। अपील संख्या 12/2023 के वकील अपीलान्ट द्वारा भिन्न– भिन्न खसरों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे यह ज्ञात हो सके कि विवादित भूमि के खसरे नम्बर समान रहे हों। प्रकरण विवादित भूमि के खातेदार कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्राह्मण की विरासत के नामांतरकरण से संबंधित है। उक्त नामांतरकरण संख्या 8 अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काल्या पुत्र रामकुंवार माली के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 4.1.1961 को स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर जमाबन्दी संवत 2015 में अंकित नोट को अन्तर्गत धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खातेदार के विकलांग होने के कारण उप खण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 28.6.1961 द्वारा निरस्त कर दिया गया। इससे काल्या पुत्र रामकुंवार नाम विलोपित हो गया। इसके बाद बनी जमाबन्दी संवत 2019 में उक्त रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के अलावा आराजी खसरा नम्बर 1424 रकबा 1 बीघा, 1425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 2327 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट, जिला दौसा में खातेदारी रामबाई कौम ब्राह्मण साकिन देह जौहरी लाल ब्राह्मण व शिव, काल्या कौम माली के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 8.2.1962 को शिकमी अंकित कर दिया गया। जमाबन्दी खाता संख्या 167 में दिनांक 8.2.1962 को नामांतरकरण निरस्त होने का नोट लगाए जाने के बाद खातेदारी कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल के नाम आनी थी, लेकिन 2019 की जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.1962 को संदर्भित कर खातेदार के रूप में रामबाई का नाम अंकित कर दिया। रामबाई की विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.1971 प्रभू लाल के नाम तस्दीक कर दिया। विवादित भूमि का विक्रय प्रभू लाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.5.71 द्वारा सुभाषचन्द्र पुत्र जौहरी लाल ब्राह्मण को किया गया एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 364 केता के नाम तस्दीक हुआ है ।

10. उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ घनश्याम पुत्र लड्डू लाल ब्राह्मण की दोनों अपीलें कमशः नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 8.2.1962 के खिलाफ प्रकरण 12/2010 में अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश तहसीलदार लालसोट जमाबन्दी अंकन सं. 2019 जिसमें रामबाई बेवा ....(नामालूम) अंकित किया गया था, खारिज किया जाकर

प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जॉच की जाकर व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर यथासम्भव दो माह के अन्दर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । दूसरे नामांतकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 जो रामबाई की विरासत का प्रभू लाल के नाम तस्दीक किया था, के खिलाफ प्रकरण संख्या 13/2010 में अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.2.16 द्वारा खारिज की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 391 यथावत रखा गया ।

11. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील संख्या 12/2023 सुभाष बनाम घनश्याम के संबंध में हम समझते हैं कि प्रा.पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.1959 के द्वारा विवादित भूमि के खसरा नं. 1400, 1401, 2109, 2133, 2139, 2140, 2141–2144, 2145, 2146, 2147/1, 2163 कुल रकबा 19 बीधा 14 बिस्वा रामबाई के नाम दर्ज करने एवं कन्हैयालाल का नाम हजफ का आदेश दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 05.02.1959 से व्यथित होकर कन्हैयालाल पुत्र मोहरीलाल ने राजस्व मण्डल अजमेर के अपील की गयी। राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.1959 से कन्हैयालाल की अपील खारिज कर दी गयी। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.07.1959 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.1960 से रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उपरोक्त प्रश्नगत नामान्तरकरणों में विवादित भूमि के रकबा व खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न हैं। उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रश्नगत नामान्तरकरणों में विवादित भूमि के रकबा व खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न हैं। अपील संख्या 12/2023 के वकील अपीलान्ट द्वारा भिन्न– भिन्न खसरों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे यह ज्ञात हो सके कि विवादित भूमि के खसरे नम्बर समान रहे हों। अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा द्वारा स्व. कन्हैया लाल पुत्र छाजू लाल ब्राह्मण की खातेदारी भूमियों के नामांतरकरण संख्या 8 जो काल्या पुत्र राम कुंवार माली के नाम तस्दीक दिनांक 4.1.1961 को तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.1962 से निरस्त कर रामबाई के नाम खातेदारी अंकित करने के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष घनश्याम बनाम प्रभू लाल की अपील संख्या 12/2010 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा रामबाई का नाम अंकित करने के आदेश को खारिज किये जाने एवं प्रकरण तथ्यों की पूर्ण जॉच की जाकर व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर यथासम्भव दो माह के अन्दर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किये जाने के कारण, हम उक्त अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः भूमि के केता सुभाष वगैहरा बनाम घनश्याम की अपील संख्या 12/2023 में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील संख्या 12/2023 सुभाष बनाम घनश्याम खारिज की जाती है।

12. अपील संख्या 13/2023 घनश्याम बनाम प्रभू लाल के संबंध में हम समझते हैं कि तहसीलदार लालसोट द्वारा खातेदार रामबाई की विरासत का नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 को प्रभू लाल पुत्र गोकुल प्रसाद के नाम तस्दीक किये जाने के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 13/2010 में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 को यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने रामबाई के नाम खातेदारी अंकित करने के तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 8.2.1962 को घनश्याम बनाम प्रभू लाल की अपील संख्या 12/2010 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.2.2016 द्वारा खारिज कर

प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किये जाने के कारण रामबाई की विरासत का प्रभू लाल के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.1971 स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रामबाई का नाम खातेदारी में अंकित करने के तहसीलदार लालसोट के आदेश को निरस्त करने के बाद रामबाई की विरासत के नामांतरकरण संख्या 391 प्रभू लाल के नाम दिनांक 16.7.71 को तस्दीक हुआ था, को यथावत रखा है, जो विरोधाभासी होने से कानूनी रूप से उचित नहीं है। अतः रामबाई की विरासत के प्रभू लाल के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 391 दिनांक 16.7.71 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभू लाल की प्रथम अपील संख्या 13/2010 में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2016 के खिलाफ घनश्याम बनाम प्रभूलाल उनवानी अपील संख्या 13/2023 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 08.02.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तथ्यों की पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर व वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाना उचित समझते हैं। परिणामस्वरूप घनश्याम बनाम प्रभू लाल की अपील संख्या 13/2023 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 08.02.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तथ्यों की पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर व वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर